



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 428 राँची, शुक्रवार, 30 आषाढ़, 1945 (श०)
21 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-133/2017-21690 (HRMS)--श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-41/20, प्रथम बैच) तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-1774/गो०, दिनांक 26.12.2017 एवं पत्रांक-1191/गो०, दिनांक 22.10.2018 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। श्री कुजूर के विरुद्ध आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप निम्नवत् है-

(क) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरनी के प्रभार में रहने के दौरान लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के कारण जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा संचालित पोषाहार योजना तथा महिलाओं एवं बच्चों के लिए अन्य लाभकारी योजना के संचालन में व्यवधान आने से जनता में आक्रोश की भावना बनी, जिसके कारण उपायुक्त, गिरिडीह को बार-बार जनता से शिकायत प्राप्त होती रही। आम जनता, जन प्रतिनिधियों एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए श्री कुजूर से बार-बार लम्बे समय से अनुपस्थित रहने के संदर्भ में कारण पृच्छा की गई, परन्तु श्री कुजूर द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह के आदेश का पालन नहीं करते हुए कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया ।

(ख) श्री कुजूर के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिरनी के प्रभार में रहने के दौरान लम्बे समय से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण बिरनी प्रखण्ड में आपूर्ति विभाग से संबंधित कार्यों का सम्पादन नहीं हो सका। फलतः आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा।

(ग) श्री कुजूर का उक्त कृत्य सरकारी कर्मचारी आचार संहिता के विरुद्ध है तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहलेना, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता एवं जनहित के विरुद्ध है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2201, दिनांक 08.03.2019 द्वारा श्री कुजूर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-10375, दिनांक 27.12.2019, पत्रांक-1077, दिनांक 10.02.2020, पत्रांक-6914, दिनांक 31.12.2020, पत्रांक-6210, दिनांक 30.09.2021 एवं पत्रांक-4922, दिनांक 03.08.2022 द्वारा स्मारित किया गया, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया ।

श्री कुजूर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1725, दिनांक 22.03.2023 एवं स्मार पत्रांक-2902, दिनांक 19.05.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है, किन्तु इनसे द्वितीय कारण पृच्छा भी अप्राप्त रहा, जिससे स्पष्ट है कि इनको अपना पक्ष रखने में कोई रुचि नहीं है तथा संबंधित आरोप के संबंधों में इनको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि श्री कुजूर को पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है, फिर भी इनका उत्तर अप्राप्त है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रवीण रोहित कुजूर, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRAWEEEN ROHIT KUJUR 224138	श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-41/20, प्रथम बैच) तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह संप्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, चास, बोकारो के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रवीण रोहित कुजूर, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
